न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा कंवर सिसोदिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद 53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :— 125/18

वादी

शैतानाराम वल्द श्री धीमाराम
कौम विश्नोई निवासी ग्राम दयाकोर
तहसील लोहावट

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मनोहरराम पुत्र पांचाराम
2. कानाराम
3. बलवताराम
4. हरूराम
5. रिड़मलराम

   पिसरान खेताराम

6. भीखाराम
7. भॅवरलाल
8. श्रीराम

   पिता फूसाराम
   लाधुराम फौत के कायम मुकाम व
   वारिसान

9. मगनाराम पुत्र श्री लाधुराम
10. रूपा पत्नि श्री लाधुराम
11. बरसीगाराम
12. कानाराम
13. पांचाराम
14. छोटुराम

   पिसरान लुम्बाराम

15. मालाराम पुत्र रामुराम
16. सुरताराम पुत्र रामुराम
17. धनाराम पुत्र रामुराम
18. चौथाराम पुत्र रामुराम
19. माणकराम
20. भगुराम

   पि. लुम्बाराम सभी जाति विश्नोई
   निवासी सभी ग्राम दयाकौर (चंदनपुर)
   तहसील लोहावट जिला जोधपुर (राज.)

21. श्री तहसीलदार लोहावट

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) फलौदी

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री उगराराम उदाणी।
2. प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही।

निर्णय

दिनांक :– 29/5/19

वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील लोहावट के ग्राम चिकनीनाड़ी उर्फ चन्दनपुर तहसील लोहावट के खेत खसरा न. 322 रकबा 35 बीघा 03 विस्वा भूमि स्थित है। जिसके मुल खातेदार श्री फूसाराम वल्द श्री रूपाराम 1/2 हिस्सा तथा श्री खेताराम 1/2 हिस्सा के नाम थी। उक्त खेत के 1/2 हिस्सा के खातेदार श्री फूसाराम के स्वर्गवास के पश्चात् उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 6 श्री भीखाराम ने वहैहियत स्वयं व वहैसियत कुरदति वली उसके भाईयान् सर्व प्रतिवादी संख्या 7 श्री भवंरलाल व प्रतिवादी संख्या 8 श्रीराम के कुदरति वली की हेसियत से अपने 1/2 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा याने कुल रकवे का 1/3 हिस्सा याने 11 बीघा 14 विस्वा जमीन के खातेदारी अधिकार वादी को जरिए रजिस्टर्ड सेल डीड के तारीख 02.08.1980 को विक्रय कर दिए और उक्त विक्रय की गयी रकवा 11 बीघा 14 विस्वा जिसके पश्चिम में भगूराम विश्नोई का खेत, पूर्व में बगताराम विश्नोई का खेत, उत्तर में जसवंताराम विश्नोई का खेत व दक्षिण में बगताराम विश्नोई का खेत है के पड़ोस का उक्त रजि. विक्रय विलेख में उल्लेख करते हुए मौका पर उक्त जमीन का वास्तविक व भौतिक कब्जा वादी को वर वक्त बेचान के दे दिया। वादी खेत ख.स. 322 की कुल रकवा 35 बीघा 03 विस्वा वाके ग्राम चिकनी नाड़ी उर्फ चन्दनपुर में 1/3 हिस्सा के याने उक्त वर्णित चारों पड़ोस बीच की रकबा 11 बीघा 14 विस्वा का खातेदार काश्तकार काविज वर वक्त खरीद तारीख 02.08.1980 को हुवा। उक्त वर्णित जमीन में वादी अकेले का 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 6 से 8 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 9 ता 17 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा हुवा। खेत ख.स. 322 की कुल रकवा 35 बीघा 3 विस्वा आज तक निरतर वादी अपने बण्ट की उक्त 1/3 हिस्सा जमीन पर विना किसी वाधा या व्यवधान के निरन्तर काविज है और बरसात के मौसम में काश्त करता है और उससे उपजने वाली प्राकृतिक फसल का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है।

उक्त वर्णित खेत के 1/3 हिस्सा की रकवा 11 बीघा 14 विस्वा पर वादी वर उक्त खरीदी के आज तक निरन्तर काविज था ओर वादी व प्रतिवादीगण के संवंध आपस में मधुर थे इस कारण उसने कभी भी उकत खेत में अपना 1/3 हिस्सा की जमीन का अलग से सीमांकन करवाने का व अलग से राजस्व अभिलेखो में में दर्ज करवाने का नही कहा। मगंर वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 के मध्य पिछले कुछ अर्सा से सम्वंधों में पैदा हुई कटुता के कारण वादी ने अपनी खरीदसुदा 1/3 हिस्सा उसके वण्ट की जमीन का अलग से सीमांकन करवाने का व उस अनुसार राजस्व अभिलेखों में अलग से खाता खुलवाने का प्रतिवादीगण को पिछली तारीख 20.01.2007 को कहा जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 ने पहले तो आश्वासन

सहायक कलक्टर एवं न्यायपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

दिया मगर तारीख 01.02.2007 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर वादी को कहा कि उनको उक्त खेत में जिरा 1/3 हिस्सा पर काब्जा काश्त है वह मंजूर नहीं है। इसलिए वे वादी को जमीन का अलग से सीमाकंन नही करवायेंगे।

इसलिए वादी ग्राम चिकनीनाड़ी उर्फ चन्दननगर तहसील लोहावट के खेत खसरा न. 322 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के बंट हिस्सा एवं कब्जा काश्त अनुसार वादपत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शा में मार्क अनुसार विधिवत बंटवाड़ा भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रत्येक खातेदार के नाम से अलग अलग खाता कायम कर मध्य बाई मिट्स एण्ड बाण्ड्स में विभाजन किये जावे।

कि 14.03.2015 को ग्राम चिकनीनाड़ी तहसील लोहावट के खेत खसरा न. 322 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त भूमि का इनके मध्य विभाजन होया हुआ नहीं होने से बाई मिट्स एंड बाउण्डरस् में विभाजन कि प्राथमिक डिक्री जारी कि गयी एवं तहसीलदार लोहावट को विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन में दो प्रतियों में अलग अलग कलर दर्शाते हुए पेश करने का आदेश जारी किया गया।

तहसीलदार लोहावट द्वारा माफिक आदेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश होने पर शामिल मिसल किया गया विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी कि बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने बहस में बताया कि वादी एवं प्रतिवादीगण खसरा न. 322 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा भूमि मौजा ग्राम चिकनीनाड़ के बंटवाड़ें हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय द्वारा दिनांक 14.03.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी कि जिसकी पालना में तहसीलदार लोहावट मय पटवारी मौके पर जाकर मौका व रेकर्ड अनुसार बंटवाड़े का प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया इसी अनुसार हमारा हक हिस्सा है तथा मौके पर कब्जा काश्त है अधिवक्ता ने अंत में निवेदन किया कि बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार वाद अंतिम डिक्री फरमाया जावे

हमने पत्रावली, दस्तावेजात व बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया व अधिवक्ता कि बहस पर मनन किया न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.03.2015 को बंटवाड़े का यह वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कि गई इसी अनुसार तहसीलदार लोहावट द्वारा मौका व रेकर्ड अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य होने से वाद वादी का स्वीकार किया जाता है

–: आदेश :–

वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाकर तहसील लोहावट के ग्राम चिकनीनाड़ी के खेत खसरा न. 322 रकबा 35 बीघा 03 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा निम्न प्रकार से खातेदारों के मध्य किया जाता है :–

कलक्टर फास्ट ट्रैक फलोदी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

क्र.स.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म
1.	शैतानाराम पिता धीमाराम जाति विश्नोई सा.देह खातेदार	322	11.14	बा–IV
2.	मनोहरराम पिता पांचाराम, कानाराम, बलतन्ताराम, हरूराम पिता रिड़मलराम जाति विश्नोई सा.देह खातेदार (प्रतिवादी संख्या 01 ता 05)	322	11.14	बा–IV
3.	मगनाराम पिता लादुराम, रूपा पत्नि लादूराम, बरसिंगाराम, कानाराम, पांचाराम, छोटूराम,माणकराम, भगुराम पिता लुम्बाराम, मालाराम, सुरताराम, धनाराम, चौथाराम पिता रामूराम जाति विश्नोई सा.देह खातेदार (प्रतिवादी संख्या 09 ता 20)	322	11.15	बा–IV

तहसीलदार लोहावट इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। इसी माफिक अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..29/8/19.......को सरे इजलास में सुनाया गया।

पुष्पा कंवर सिसोदिया (आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), फलौदी

Scanned by CamScanner